


## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

### गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल लखनऊ नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मालिकाना स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्रीमती अश्विनी  
श्रीमती अश्विनी पिता/पति का नाम श्री श्रीमती अश्विनी  
 स्थल 17/10/970/23/1 इलाहाबाद। जोन संख्या ( )

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिह्नित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किये जायेंगे।



संयुक्त सचिव/प्रोग्राम-मन  
 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
 इलाहाबाद।

**नोट :-**








- यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणाधीन अथवा पुनः निर्माणाधीन होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
- इस अनुमति-पत्र में सड़क, नाली या नाली पर बड़ा कर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़गा, सीडी, आण नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण को स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण उक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरमत करवाकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इम्प्लियन इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान को नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

*Recd.*



**TABLE - AREA STATEMENT**

S. N.	DESCRIPTIONS	AREA IN SQ. M.
1.	TOTAL PLOT AREA	54,400
2.	ROAD WIDENING AREA	29,920
3.	NET PLOT AREA	24,480
4.	COVERED AREA AT UPPER GROUND FLOOR	236.88
5.	PROPOSED COVERED AREA AT FIRST FLOOR	231.97
6.	PROPOSED COVERED AREA AT SECOND FLOOR	236.88
7.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (40% OF N.P.A.)	9,792
8.	PROVIDED GROUND COVERAGE	710.64
9.	PERMISSIBLE F.A.T. (120 OF N.P.A.)	1.12



**PROPOSED NURSING HOME BUILDING PLAN FOR 'MOHAK MEDICAL AND REURCH CENTRE' AT 'MURABAD' COLONY, STANLEY ROAD, P. & T. SAJAJ ALLAHABAD.**

DESIGN NO. HMC/PROP. 28675/UN/10  
SHEET NO. A/1  
SCALE: 1:100  
DATE: JUN 10  
NORTH

DESIGNED BY: GAGAN KUMAR  
CHECKED BY: E. MITHLESH KUMAR

**SIGN OF DIRECTORS**  
P.M. A.S.A.

**SIGN OF ENGINEER**  
SIGN OF ARCHITECT

**HOME CONSULTANT**  
REGISTERED ARCHITECT  
PUNJAB  
PH 8522-228485

**OWNERS**  
1. DR. REETU JAIN W/O DR. MOHIT JAIN  
2. DR. KAMAL SINGH S/O SRI RAM ACHAL SINGH  
3. DR. IMAJ SHERWASTAVA W/O DR. I. C. SRIVASTAVA  
4. DR. AMI SETHI S/O DR. SURESH KUMAR SETHI

**ALL DIRECTORS OF**  
MURABAD NURSING HOME  
OFFICE-242, COLONLAANI, ALLAHABAD

**SCHEDULE OF DOORS/WINDOWS**

NO.	TYPE	AREA
D1	DOOR	1000x2000
D2	DOOR	1000x2000
D3	DOOR	1000x2000
D4	DOOR	1000x2000
W1	WINDOW	1800x1800
W2	WINDOW	1800x1800
W3	WINDOW	1800x1800
W4	WINDOW	1800x1800
V1	VENTILATOR	1000x600
V2	VENTILATOR	1000x600

**LEGEND**  
PROPOSED COVERED AREA SHOWN IN THIS PLAN WITH DARK SHADING SHOWING THIS

**STANLEY ROAD**  
CENTRE LINE OF THE STANLEY ROAD  
1200 WIDE ROAD WIDENING  
1800 WIDE ROAD WIDENING  
8000 WIDE SET BACK  
4500 WIDE SET BACK  
3000 WIDE SET BACK  
2300 WIDE OPEN LAND FOR SILT STACKING  
1200 WIDE N.A.